न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 281/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
शिवाराम पुत्र भीखदास जाति भील निवासी– तिरसिंगडी सोढा, तहसील–पचपदरा, बालोतरा		1. पुखराज उर्फ पुखाराम पुत्र मांगाराम जाति भील निवासी– तिरसिंगडी सोढा 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पचपपदरा जिला बालोतरा। 3. पपाराम पुत्र श्री मांगाराम 4. रतनाराम पुत्र मांगाराम 5. सताराम पुत्र मांगाराम 6. श्रीमती धनकी देवी पत्नी मांगाराम जाति भील निवासी– तिरसिंगडी सोढा तहसील–पचपदरा, बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 103/2020 अनवान पुखराज उर्फ पुखाराम बनाम पपाराम वगैराह में दिनांक 05.05.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री पी0 आर0 मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 15 जुलाई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिरसिंगडी सोढा के ख0सं0 679/215 रकबा 34 बीघा भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसका मूल ख0सं0 215 था तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के तहत आपसी सहमति से बंटवाडा करते हुए उक्त खसरा भूमि को प्रार्थी व विप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई और इसी अनुसार नामा0 में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इन्द्राज होकर नक्शा बनाया गया। जिसके अनुसार मांगाराम को ख0सं0 679/215 बंटवाडे में दिया गया तथा वर्तमान अपीलान्ट को ख0सं0 680/215 दिया गया और उसी अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। शिवाराम व पटवारी हल्का ने मिलकर बाले–बाले मुआवजा प्राप्त करने की नियत से तरमीम में संशोधन कर पूर्व की गई तरमीम को निरस्त कर अपनी मनमर्जी से पानी के भराव क्षेत्र में ख0सं0 832/215 व 679/215 की जमीन तरमीम में दर्शा दी और शिवाराम ने अपने हिस्से में ख0सं0 680/215 व 834/215 रख ली। उक्त तरमीम की अन्य पक्षकारान को जानकारी दिये बगैर गलत की गई जिसको कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि/दुरूस्त की जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2022 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त खसरा संख्या 679/215 रकबा 34 बीघा भूमि की भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा वर्ष 2010 के अनुसार विभाजन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन नक्शा के मुताबिक लटठा ट्रेस में तरमीम की तहसीलदार कल्याणपुर जाँच करे, अगर तरमीम विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप नहीं हो तो मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दुरूस्त की जावें। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट शिवाराम के द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2023 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु कथन किया अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के तुरन्त बाद ही आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया जिसमें प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार आपत्ति नहीं की गई उसके बावजूद आज दिन तक उक्त प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखा हुआ है जिसे निर्णित नहीं किया गया है। हाल ही में राजस्व कर्मचार व रेस्पोडेन्टस मौके पर आये एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने व मौके पर तरमीम अनुसार मुटाम लगाने की कार्यवाही आरम्भ की गई तब जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दी गई है। रिव्यू प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी और जो देरी हुई वह सदभाविक है। अतः उक्त विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट किया और अस्वीकार करने का कथन किया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किये जाने पर रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 की ओर से लिखित में जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का समर्थन कर दिया। जबकि अपीलान्ट के जबाब का उल्लेख नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 3 से 6 ने मिलीभगती करते हुए कटाणी रास्ते की भूमि पर कब्जा लेने के लिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमें रेस्पो0 संख्या एक स्वयं प्रार्थी है तथा रेस्पो0 संख्या 3 से 6 को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पो0 संख्या एक ने अपने पक्ष में उनसे जवाब पेश करवा दिया जबकि अपीलान्ट ने उसका विरोध प्रकट किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं होने के आधार मानकर रेकर्ड का विवेचन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वर्ष 2010 में प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत जो बंटवाडा प्रस्तुत किया गया था, उस समय रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपनी भूमि को उत्तरी दिशा में रखने व अपीलार्थी की भूमि को दक्षिणी दिशा में तरमीम करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत पेश किया परन्तु अपीलार्थी को जिस स्थान पर भूमि दिये जाना अंकित किया है, उस भूमि पर किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं लगता था, इस कारण तहसीलदार के द्वारा उक्त प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेशानुसार उक्त भूमि उत्तरी दिशा में स्थित रास्ते पर दोनों को भूमि दी गई जिस अनुसार अपीलार्थी की भूमि को पूर्वी दिशा में रेस्पो0 संख्या एक व अन्य सहखातेदारों की भूमि को पश्चिमी दिशा में रखते हुए राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी गई थी और मौके पर उसी अनुसार सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो गये थे। बाद में वादग्रस्त भूमि में से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सडक निकलने पर पूर्व में की गई तरमीम के अनुसार मुआवजा राशि अदा की गई। रेस्पोडेन्टस की भूमि अधिक उपयोग में लिये जाने के कारण उन्हे अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। अब रेस्पोडेन्टस की नियत में खोट आ जाने व भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के बाद आपस में मिलीभगती कर गलत तथ्यों के आधार पर तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जबकि पूर्व में जो तरमीम की गई थी, वह सही तरमीम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तरमीम दुरूस्ती बाबत किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना मानते हुए व "प्रार्थी व विप्रार्थीगण मोके

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पर काबिज काश्त है, उसी अनुसार नक्शे में दुरूस्त किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है'' अंकित करते हुए तथा अपीलार्थी के जवाब व तथ्यों पर मनन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बंटवाडे अनुसार अपीलान्ट को आने–जाने हेतु अलग से कोई रास्ता नहीं दिया गया था और सडक निकल जाने से अपीलान्ट की भूमि 03 अलग–अलग भागों में विभाजित हो गई जो काश्त योग्य नहीं रही है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जिस अनुसार तरमीम की गई है उसके अनुसार कोई रास्ता अपीलार्थी की भूमि में नहीं लगता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जो आज भी विचाराधीन चला आ रहा है। जिसमें प्राथी द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। हाल ही जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने व मौके पर तरमीम अनुसार मुटाम लगाने की कार्यवाही हुई तब जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दी गई, इस कारण अपील पेश करने में उसे देरी हुई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2022 को निरस्त किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में पूर्व की गई तरमीम को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो.संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मुझ रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते कथन किया ग्राम तिरसिंगडी सोढा के ख0सं0 679/215 रकबा 34 बीघा भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसका मूल ख0सं0 215 था तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के तहत आपसी सहमति से बंटवाडा करते हुए उक्त खसरा भूमि को प्रार्थी व विप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई और इसी अनुसार नामा0 में इन्द्राज होकर नक्शा बनाया गया। जिसके अनुसार रेस्पो0 संख्या 3 से 6 के पूर्व खातेदार मांगाराम को ख0सं0 679/215 बंटवाडे में दिया गया तथा वर्तमान अपीलान्ट को ख0सं0 680/215 दिया गया और उसी अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। अपीलान्ट शिवाराम व पटवारी हल्का ने मिलकर बाले–बाले मुआवजा प्राप्त करने की नियत से तरमीम में संशोधन कर पूर्व की गई तरमीम को निरस्त कर अपनी मनमर्जी से पानी के भराव क्षेत्र में ख0सं0 832/215 व 679/215 की जमीन तरमीम में दर्शा दी और शिवाराम ने अपने हिस्से में ख0सं0 680/215 व

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

834/215 रख ली। उक्त तरमीम की अन्य पक्षकारान को जानकारी दिये बगैर गलत की गई है जिसको कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि/दुरूस्त की जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्रदान किया गया, वर्तमान अपीलान्ट के द्वारा तथा रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 की ओर से लिखित में अपना जवाब पेश किया। रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 के द्वारा वर्ष 2010 में पक्षकारान के मध्य हुए आपसी सहमति के बंटवाडे अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त हो होना बताया और उसी अनुसार नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार कल्याणपुर से मौका एवं राजस्व की रिपोर्ट तलब की गई थी।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर के द्वारा भी लटठा ट्रेस में डीआईएलआरएमपी योजना के तहत मैपिंग हेतु तरमीम करते समय भूल/सहवन से विभाजन प्रस्ताव के नजरिया नक्शा मुताबिक न होकर गलत दिशा में कर दी जाना बताया था। तत्पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2022 के द्वारा मुझ रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरा संख्या 679/215 रकबा 34 बीघा भूमि की भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा वर्ष 2010 के अनुसार विभाजन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन नक्शा के मुताबिक लटठा ट्रेस में तरमीम की तहसीलदार कल्याणपुर जॉच करे, अगर तरमीम विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप नहीं हो तो मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दुरूस्त की जावें, के आदेश प्रदान किये गये थे जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखा जावें एवं अपीलान्ट अपील अस्वीकार की जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया कि अपीलान्ट के द्वारा यह अपील इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारों के मध्य हुए बंटवाडे में अपीलान्ट को मिली हिस्सा भूमि के दिशा स्थान को गलत दिशा में दे दिया जाना तथा हिस्सा भूमि में कोई रास्ता नहीं दिया जाना बताते हुए पूर्व में हो रखी तरमीम को यथावत व रखने व उक्त तरमीम को दुरूस्त करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने बाबत कथन किया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि का वर्ष 2010 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आपसी सहमति से बंटवाडा पक्षकारान के द्वारा करवाया गया था तथा उसी विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर अपने–अपने हक हिस्से वाली भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त बंटवाडा अनुसार वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकर्ड/नक्शें में तरमीम की गई, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा यह कथन किया था कि अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में बंटवाडा अनुसार की गई नक्शा तरमीम को राजस्व कार्मिकों से मिलीभगती करते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट की भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से नक्शे में गलत रूप से तरमीम करवा ली है, जो अन्य खातेदारी को जानकारी दिये बगैर करवा ली है। अतः बंटवाडा अनुसार की गई तरमीम अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दोनों पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। तथा तहसीलदार कार्यालय, कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें ग्राम तिरसिंगडी के लटठा ट्रेस में डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत वन–टू–वन मैपिंग हेतु तरमीम करते समय भूल से विभाजन प्रस्ताव के नजरीया नक्शा मुताबिक न होकर अलग तरमीम कर दी गई है, खातेदार कब्जा काश्त भी विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा मुताबिक ही करते है। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार कल्याणपुर को विभाजन नक्शा के मुताबिक तरमीम की जॉच कर लटठा ट्रेस में तरमीम किये जाने के निर्देश पारित किये है, जो कि उचित प्रतीत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुजांइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 15 जुलाई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर